न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 05/2024

अपीलार्थीगण

1. लालाराम पुत्र धुडाजी पुरोहित, जाति–राजगर ब्राह्मण (पुरोहित), निवासी–बावली, तहसील व जिला–सिरोही
2. जगदीश पुत्र थानाजी पुरोहित, जाति–राजगर ब्राह्मण (पुरोहित), निवासी–बावली, तहसील व जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. तुलसीराम पुत्र ओटीयाजी पुरोहित, जाति–राजगर ब्राह्मण (पुरोहित), निवासी–खेतेश्वर चौक, पुरोहितों का वास, जावाल, तहसील व जिला–सिरोही
2. गोविन्द पुत्र ओटीयाजी पुरोहित, जाति–राजगर ब्राह्मण (पुरोहित), निवासी–खेतेश्वर चौक, पुरोहितों का वास, जावाल, तहसील व जिला–सिरोही
3. लक्ष्मी पुत्री ओटीयाजी पत्नी चुन्नीलालजी पुरोहित, जाति–पुरोहित, निवासी–मनोरा, तहसील व जिला– सिरोही
4. वीणा पुत्री ओटीयाजी पत्नी हिम्मतजी, जाति–पुरोहित, निवासी–रायपुरीया, तहसील व जिला– जालोर
5. पाबु देवी पत्नी ओटीयाजी पुरोहित, जाति–राजगर ब्राह्मण (पुरोहित), निवासी–खेतेश्वर चौक, पुरोहितों का वास जावाल, तहसील व जिला–सिरोही
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या–6 (छः) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 30 अप्रेल, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील, उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा पटवारी हल्का, नवारा को जारी आदेश पत्र क्रमांकःभू.अ./2019/652 दिनांक 09–12–2019 एवं इस आदेश की पालना में पटवारी हल्का, नवारा द्वारा ग्राम बावली, पटवार नवारा के दायर शुद्धि पत्र संख्या 4 दिनांक 21–7–2020 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 (छः) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अपील का जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) प्रकरण में दिनांक 25–4–2025 को बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि विद्वान उप तहसीलदार, कालन्द्री ने अपीलार्थीगण की ग्राम बावली में स्थित कृषि भूमि के खातेदारी हक हिस्से को कम करने का आलौच्य आदेश दिनांक 09.12.2019 को पारित करने में भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटी की है। ग्राम बावली, पटवार क्षेत्र नवारा, तहसील– सिरोही में अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त की खातदोरी

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कृषि भूमि आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 1000 रकबा 0—0300 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1001 रकबा 0—0800 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1002 रकबा 0—8400 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1003 रकबा 0—5900 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1174 रकबा 1—7000 हेक्टेयर, खसरा संख्या 530 रकबा 0—7800 हेक्टेयर, खसरा संख्या 547 रकबा 0—9600 हेक्टेयर व खसरा संख्या 735 रकबा 1—3100 हेक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 6—2900 हेक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थीगण एवं उसके पूर्व रसाधिकारियों का संयुक्त रूप से 2/3 खातेदारी हक हिस्सा है। जो राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अपीलार्थीगण का प्रश्नगत कृषि भूमि में 2/3 खातेदारी हक हिस्सा होना अंकित है। इस प्रकार, प्रश्नगत कृषि भूमि में अपीलार्थी लालाराम का 1/3 खातेदारी हक हिस्सा एवं अपीलार्थी जगदीश का 1/3 खातेदारी हक हिस्सा है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पूर्व रसाधिकारी ओटीया पुत्र धरमाजी का 1/3 खातेदारी हक हिस्सा अंकित रहा है, जो सदैव से अंकित रहा है, लेकिन प्रश्नगत सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अपीलार्थीगण का मौके पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त एवं हक अधिकार है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पूर्व रसाधिकारी ओटिया पुत्र धरमाजी ग्राम बावली में कभी नहीं रहे है। ओटिया जी या उनके वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 का प्रश्नगत कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त या हक अधिकार नहीं रहा है। प्रत्यर्थी गोविन्द एवं उसके पूर्व रसाधिकारी ओटीयाजी ने स्थानीय राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर अपीलार्थीगण के पीठ पीछे प्रश्नगत कृषि भूमि में अपीलार्थीगण के उक्त वर्णित कृषि भूमि के खातेदारी हक हिस्से को अवैध रूप से कम करवाया है। उप तहसीलदार, कालन्द्री को प्रश्नगत कृषि भूमि में पक्षकारान के खातेदारी हक हिस्से को कम करने का या उसमें परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। उप तहसीलदार, कालन्द्री ने आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को कोई नोटिस जारी नहीं किये है एवं न ही अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। उप तहसीलदार, कालन्द्री ने आलौच्य आदेश अपीलार्थीगण के पीठ पीछे प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 को अवैध रूप से लाभान्वित करने के उद्देश्य से पारित किया है, जिससे उक्त आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी जगदीश की माता भुरीबाई का देहान्त सन् 2021 में हुआ है। उप तहसीलदार, कालन्द्री को राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी हक हिस्से को कम करने या उसमें परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। भू प्रबन्ध की कार्यवाही समाप्त हुये करीब 20 वर्ष हो चुके है। ऐसी स्थिति में भू प्रबन्ध के समय राजस्व रेकार्ड में किये गये इन्द्राजात में परिवर्तन करने या करवाने का, खातेदारी हक हिस्से में परिवर्तन करने या करवाने का अधिकार विधि में अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी रूप से नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलौच्य आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि उप तहसीलदार कालन्द्री ने आलौच्य आदेश दिनांक 09.12.2019 की पालना किये जाने हेतु पटवारी हल्का, नवारा को आदेश दिये है। उप तहसीलदार, कालन्द्री के आदेश की पालना में पटवारी हल्का, नवारा ने प्रविष्टि कमांक 4 दिनांक 21.07.2020 के जरिये प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में अवैध रूप से परिवर्तन किया है एवं उक्त परिवर्तन को भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तस्दीक किया है, जिससे उक्त शुद्धि पत्र दिनांक 21.07.2020 भी काबिल निरस्त के है। उप तहसीलदार, कालन्द्री ने अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना आलौच्य आदेश पारित कर अपीलार्थीगण के प्राकृतिक न्याय प्राप्ति के सिद्धान्तों का हनन किया है। यह कि अपीलार्थीगण को उक्त आलौच्य आदेश पारित होने एवं शुद्धि पत्र जारी किये जाने की जानकारी, सर्वप्रथम दिनांक 22.12.2023 को हुई है। दिनांक 22.12.2023 से पूर्व अपीलार्थीगण को आलौच्य आदेश एव शुद्धि पत्र जारी होने की जानकारी नही हो सकी है। अपीलार्थीगण को उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन होने की जानकारी पटवारी हल्का से प्राप्त हुई है। जिस पर अपीलार्थीगण ने उक्त आलौच्य आदेश एवं

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * राजस्थान

उसकी अनुपालना में पारित आदेश की नकलें प्राप्ति हेतु एवं प्रकरण से सम्बन्धित कागजातों की नकलों को प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये। उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 09.12.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि, अपीलार्थी को दिनांक 26.12.2023 को प्राप्त हुई है। जिस पर अपीलार्थीगण ने अन्दर मियाद तीस दिन यह अपील प्रस्तुत करवाई है जिसमें अपीलार्थी की कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है व अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक है। अपीलार्थीगण ने इस विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया है। अतः अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन करके अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 09—12—2019 को एवं इसकी पालना में पटवारी हल्का, नवारा द्वारा जारी किये गये शुद्धि पत्र संख्या 4 दिनांक 21—7—2020 को निरस्त किया जावे एवं प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सों को दिनांक 09—12—2019 के पूर्व की भांति यथावत रखते जाने के आदेश प्रदान किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल ने बहस के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा किसी भी पक्षकार का खातेदारी हिस्सा कम करने का कोई आदेश पारित नहीं किया हैं, वरन विधिवत जांच कर आदेश दिनांक 09.12.2019 को पारित किया हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोइ कानूनी अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलार्थीगण के खातेदारी की नहीं होकर प्रत्यर्थीगण के सह खातेदारी की भूमि हैं, अपीलार्थीगण अकेले का उपरोक्त भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं हैं। उपरोक्त कृषि भूमि में 1/2 खातेदारी हक हिस्सा प्रत्यर्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री ओटियाजी पुत्र धरमाजी का रहा है, तथा शेष 1/2 अपीलार्थीगण दोनों का संयुक्त रहा है अर्थात अपीलार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का उपरोक्त भूमि में क्रमशः 1/4 खातेदारी हक हिस्सा रहा हैं। वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5, अपने खातेदारी हक हिस्से अनुसार संयुक्ततः बतौर मालिक व खातेदार काबिज—काश्त हैं, तथा बतौर खातेदार अपने हिस्से की भूमि पर उनके पूर्व रसाधिकारी के समय से निरंतर व निर्बाध काश्त करते आ रहे हैं। प्रत्यर्थी गोविन्द या उसके पूर्व रसाधिकारियों द्वारा न तो किसी भी राजस्व अधिकारियों से कोई मिलावट की हैं न ही कोई खातेदारी हिस्सा कम किया हैं। अधीनस्थ उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा भी विधिवत जांच कर व पूर्ण सुनवाई कर राजस्व रेकर्ड में पूर्व में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के दर्ज हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में सही इन्द्राज करने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई अविधिकता नहीं हैं। अपीलार्थीगण को उपरोक्त आदेश की शुरू से ही पूर्ण व सही जानकारी रही हैं, अपीलार्थीगण द्वारा अवैध रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 की भूमि हडपने के बदइरादे से पूर्णतः झूठे व मनगढंत तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की हैं, जिसका उसे कोई बिनाय वाद पैदा नहीं हुआ हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई खातेदारी हक हिस्सा कम किया गया हैं, बल्कि पूर्णतः सही तरीके से जांच कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा उप तहसीलदार, कालन्द्री के आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा रेकर्ड में सही इन्द्राज किया है, तथा भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा बाद जांच उसे तस्दीक किया हैं, तथा प्रविष्ठी कमांक 21.07.2020 के जरिये रेकर्ड में प्रविष्ठी इन्द्राज की हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधता नहीं हैं। यह कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश व इसकी पालना में दायर शुद्धि पत्र के संबंध में प्रारम्भ से ही पूर्ण व सही जानकारी रही हैं। अपीलार्थीगण खातेदारी अधिकारों के बारे में कोई कथन करता हैं, तो उसके लिये धारा 88 व धारा

....पेज वार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विधिवत वाद पेश किया जाकर बाद सुनवाई ही तय किया जा सकता हैं। अपीलार्थीगण को इस अपील में Summery Proceeding के जरिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का विधि में अधिकारी नहीं हैं। खातेदारी के बारे में विधिवत वाद प्रस्तुत करके ही सही तौर पर निर्णय पारित किया जा सकता हैं, जिससे यह अपील क्षेत्राधिकारातीत हैं, एवं कानूनन परिपोषणीय नहीं हैं। अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे। बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार सही हिस्सा दर्ज करने के संबंध में नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। उप तहसीलदार, कालन्द्री के पत्र क्रमांकःभू.अ./2019/652 दिनांक 09-12-2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री गोविन्द पुत्र ओटाजी पुरोहित, निवासी- बावली ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम बावली, पटवार मण्डल नवारा में उसके पिता ओटाराम पुत्र धरमाजी (ओटिया पुत्र धरमा) के नाम की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 530, 547, 735, 1000 से 1003 व 1174 कुल किता 8 रकबा 6-2900 हेक्टेयर में अंकित हिस्सों को शुद्धि करवाने हेतु अनुरोध किया, जिसकी पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट व प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2015-18 में उक्त भूमि के पुराने खसरा संख्या 417/652, 342, 343, 417, 643 कुल किता 5 कुल रकबा 38 बीघा 16 बिस्वा खातेदार धुडा, थाना पि0 त्रिकमाजी व धरमा पुत्र जवारा के नाम दर्ज थे, किन्तु खातेदारों के हिस्से अंकित नही थे। वर्तमान में तहसील ऑन लाईन घोषित करवाने हेतु जमाबन्दी सेग्रीगेशन के दौरान सहवन से ओटिया पुत्र धरमा 1/3, जगदीश पुत्र थाना 1/6, भूरी पत्नी थाना 1/6, लालाराम पुत्र धुडा 1/3 दर्ज कर दिया गया है जिनके हिस्से गलत अंकित हुए है। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट एवं प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2015-18, 2038-41, 2051-54 के अनुसार ओटिया पुत्र धरमा 1/2, जगदीश पुत्र थाना 1/8, भूरी पत्नी थाना 1/8, लाल पुत्र धुडा 1/4 हिस्से की शुद्धि की जानी उचित बताते हुए खातेदारों के प्रस्तावित हिस्से वर्तमान जमाबन्दी संवत 2071-74 के खाता संख्या 227 में दर्ज करने हेतु नियमानुसार शुद्धि पत्र की कार्यवाही करने के लिये पटवारी हल्का, नवारा को आदेशित किया गया है। जिसकी पालना में पटवारी हल्का, नवारा द्वारा ग्राम बावली, पटवार हल्का नवारा का शुद्धि पत्र प्रविष्ठी क्रम संख्या 4 दिनांक 21-7-2020 को दायर किया गया है।

उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा पटवारी हल्का, नवारा को जारी उक्त पत्र आदेश दिनांक 09-12-2019 व उक्त शुद्धि पत्र प्रविष्ठी क्रम संख्या 4 दिनांक 21-7-2020 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12-01-2024 को प्रस्तुत की गई है जो विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी ने जानकारी तिथि 22-12-2023 से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। प्रकरण में प्रत्यर्थीगण की ओर से ऐसी कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है, जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थीगण को उप तहसीलदार, कालन्द्री के उक्त आदेश पत्र दिनांक 09-12-2019 व शुद्धि पत्र प्रविष्ठी क्रम संख्या 4 दिनांक 21-7-2020 के संबंध में पूर्व से ही जानकारी रही हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपील प्रस्तुत करने की अवधि जानकारी तिथि से लागू होती है, न कि आदेश की तारीख से। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण द्वारा धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण द्वारा

......पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर * सिरोही *

अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्‌भावनापूर्ण होना प्रतीत होने से अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि कि उप तहसीलदार, कालन्द्री के उक्त अपीलाधीन आदेश पत्र दिनांक 09—12—2019 के द्वारा पटवारी हल्का, नवारा को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2015—18, 2038—41, 2051—54 के अनुसार ओटिया पुत्र धरमा 1/2, जगदीश पुत्र थाना 1/8, भूरी पत्नी थाना 1/8, लाल पुत्र धुडा 1/4 हिस्से की शुद्धि की जानी उचित मानते हुए खातेदारों के प्रस्तावित हिस्से वर्तमान जमाबन्दी संवत 2071—74 के खाता संख्या 227 में दर्ज करने हेतु नियमानुसार शुद्धि पत्र की कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया जाने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थीगण, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा पटवारी हल्का, नवारा को जारी आदेश पत्र क्रमांक/भू.अ./2019/652 दिनांक 09—12—2019 एवं इसकी पालना में पटवारी हल्का, नवारा द्वारा ग्राम बावली, पटवार हल्का नवारा के दायर शुद्धि पत्र क्रमांक 4 दिनांक 21—7—2020 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्व रेकर्ड एवं संबंधित नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण कर विधि अनुसार कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *